

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का खेरलीरेल बन्नाम रामलाल S/o शबू

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या 4/2018 /

निर्णय दिनांक :-

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण रामलाल इस प्रकार है कि ग्राम गडमावता

की आ.ख.न. 1076 कुल रकबा 0-95 किसमें जमीन गोष्ठी में से 550 कीफिट
रकबे पर श्री रामलाल S/o शबू जाख ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का खेरलीरेल द्वारा दिनांक

पक्का कभर को उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किये जाने की रिपोर्ट मय तारीख
भू.अ.निरी. खेरलीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया

जाकर अतिक्रमी रामलाल S/o शबू जाख निवासी गडमावता का न.
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तारीख
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर अनिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी


रामलाल उपस्थित आया। जबकि नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1076 रकबा 0-95 में से 550 कीफिट
रकबे किस्म गोष्ठी है जो नियमन के अन्तर्गत है लिहाजा गोष्ठी का अतिक्रमण
रकबे से वेदखल किया जाने के आदेश दिए जायें एवं दण्ड स्वरूप जमाना 4 पैसे

50 गुणा 21- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है गांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
two Rs. जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी खेरलीरेल भू.अ.निरी. खेरलीरेल

को लिखा जाकर बाद तदमील दस्तावेज दफ्तर हो। निर्णय सुने न्यायालय में
सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर)


तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)